

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2023/डी-1293

दिनांक:- 14/12/2023

:-कार्यवाही विवरण (पार्ट-बी):-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 278वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में मंथन कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

5. एजेण्डा नम्बर 278.05 (26.09.2023)(जोन-12):-

1.	भूखण्ड का विवरण	निजी खातेदारी की कनक वृन्दावन, डी ब्लॉक योजना के आवासीय प्लैट, जयपुर।
2.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	3422.11 व.मी.
3.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	60 मी. व 60 मी.
4.	भूखण्ड के आवंटन की प्रकृति-90ए/90बी के तहत आवंटित/नीलामी/रियायती पर आवंटित	प्रकरण में 90ए की कार्यवाही कर संशोधित लीजडीड दिनांक 23.07.2020 को आवासीय प्रयोजनार्थ लीजडीड मैसर्स पैराडाईज इन्फ्रास्ट्रक्चर जरिये पार्टनर श्री पंकज साबू के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात दिनांक 15.09.2023 को FRAME FORTUNE HOMES PVT. LTD. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री जितेन्द्र सिंह भाटी के पक्ष में नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया।
5.	पुर्नगठित/एकल पट्टा/उप विभाजन/एकल पट्टों से पुर्नगठित	एकल पट्टा
6.	परियोजना-समूह आवास/मुख्यमंत्री जन आवास योजना/प्रलैट्स/स्टूडियों अपार्टमेन्ट/व्यावसायिक/होटल/मिश्रित उपयोग/वेयर हाउस/रिसोर्ट/मोटल/पर्यटन विभाग में पंजीकृत हैं तो।	आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।
7.	आवेदक का नाम	FRAME FORTUNE HOMES PVT. LTD. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री जितेन्द्र सिंह भाटी
8.	स्वामित्व रिपोर्ट	जोन की रिपोर्ट दिनांक 25.09.2023 अनुसार स्वामित्व FRAME FORTUNE HOMES PVT. LTD. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री जितेन्द्र सिंह भाटी के नाम है।
9.	लेखा रिपोर्ट	जोन की रिपोर्ट दिनांक 25.09.2023 अनुसार भूखण्ड के पेटे समस्त राशि जमा दर्ज है। कोई राशि बकाया नहीं है। आवासीय आरक्षित दर 12,000/- प्रति व.मी. है।
10.	निर्माण अवधि की दिनांक	जोन की रिपोर्ट दिनांक 25.09.2023 अनुसार पट्टा जारी करने की दिनांक 06.01.2012 से 7 वर्ष अर्थात् दिनांक 05.01.2019 तक प्रभावी है।
11.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री जितेन्द्र शर्मा सी.ए./2009/45196

भवन मानचित्रों का तकनीकी विश्लेषण भवन विनियम 2020 अनुसार:-

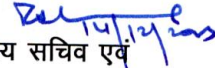
• नाहरगढ ईको सेन्सेटिव जोन से प्रभावित हैं अथवा नहीं			नहीं		
• आर्मी कन्टोनमेन्ट एरिया की 500 मीटर की परिधि में हैं अथवा नहीं			नहीं		
• एयरपोर्ट एन.ओ.सी. आवश्यक हैं अथवा नहीं			C.C.Z.M.-2023 अनुसार 72 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है।		
12	तकनीकी विश्लेषण		जविप्रा के स्थल मानचित्रानुसार/भवन विनियम 2020 अनुसार	आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रस्तावानुसार	नियमानुसार हैं अथवा नहीं
	1.	सैटबैक			
		सामने—I (60 mt. road)	12.00 मी.	12.19 मीटर	नियमानुसार हैं।
		पार्श्व—I	9.00 मी.	9.14 मीटर	नियमानुसार हैं।
		पार्श्व—II	9.00 मी.	9.14 मीटर	नियमानुसार हैं।
		पीछे	9.00 मी.	9.14 मीटर	नियमानुसार हैं।
	2.	अधिकतम आच्छादन	40 प्रतिशत (1368.84 व.मी.)	36.76 प्रतिशत (1257.97 व.मी.)	नियमानुसार हैं।

3.	अधिकतम ऊँचाई	102 मीटर (भवन विनियमानुसार) C.C.Z.M.-2023 अनुसार 72 मीटर ऊँचाई	0.75 मी. (फ्लिन्थ) + 4.36 मी. (स्टिल्ट) + 35.64 (भूतल से 11 तल) = 40 मी. + 7.75 मी. (मशीन रूम) कुल 48.50 मी.	फ्लिन्थ छोड़कर स्टिल्ट + 11 तल की कुल ऊँचाई 40 मीटर है। अतः राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
4.	कुल तलों की संख्या	—	(बेसमेन्ट + स्टिल्ट + भूतल + 11 तल)	—
5.	बी. ए. आर.	2.00 (6844.22 व.मी.)	4.66 (15,976.19 व.मी.)	नियमानुसार 9,131.97 व.मी. क्षेत्रफल की बेटरमेन्ट लेवी लेय है।
6.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	—	19,819.06 व.मी.	—
7.	आवासों की संख्या	—	72 आवास इकाई	—
8.	पार्किंग	152.81 ईसीयू 115 कार + 115 स्कूटर	153.66 ईसीयू 109 कार + 06 मैकेनिकल कार + 116 स्कूटर	नियमानुसार हैं।
9.	ग्रीन एरिया	भूखण्ड क्षेत्रफल का 10% (342.21 व.मी.)	349.21 व.मी. (10.20%)	नियमानुसार हैं।
10.	सुविधायें	न्यूनतम 2 प्रतिशत (बी.ए.आर. का) या 50 व.मी., जो भी कम हो। (स्टिल्ट तल पर) अधिकतम 5 प्रतिशत (किसी तल पर)	376.03 मी. (2.51%)	नियमानुसार हैं।
11.	10.3.2:—क्षरण क्षेत्र (Refuge area) (संबंधित तल का 10 प्रतिशत या तीन तरफ खुली बालकनी या डबल हाईट टैरेस) नववि के आदेश दिनांक 29.11.2022 अनुसार बहुमंजिला आवासीय भवनों डबल हाईट टैरेस (दो ओर खुली हुई) अथवा बालकनी होने पर पृथक से क्षरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।	24 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु	प्रत्येक फ्लैट में बालकनी प्रस्तावित की गई है, अतः पृथक से क्षरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।	नियमानुसार हैं।
12.	10.3.2(ix) 30 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्र	अनुमोदित भवन मानचित्र जारी करने के पश्चात अधिकतम 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	लागू हैं। विकासकर्ता से शपथ पत्र लेय है।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।
13.	10.3.2(x) भवन में अपेक्षित सेवाओं हेतु मानचित्रों के 2 सैट निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्	अधिकतम 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जाना है।	लागू हैं।	स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जाएगा।
14.	10.10(viii):—40 मीटर से अधिक ऊँचाई हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति	लागू हैं।	लागू नहीं हैं।	—
15.	10.11.1:—वर्षा जल संग्रहण का चिह्निकरण	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
16.	10.11.2:—अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण व रिसाईकिलिंग	2500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर आवश्यक हैं।	STP प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
17.	10.11.2(4) सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का प्रावधान	10,000 व.मी. से अधिक सकल निर्मित क्षेत्रफल के भूखण्डों पर आवश्यक हैं।		
18.	10.11.3:—पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण	आवश्यक हैं।	लागू हैं।	स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जाएगा।
19.	10.11.4(ii) सोलिड वेस्ट का ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विकेंद्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिह्नित किया जाना होगा।	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
20.	12.1.2:—आगन्तुक पार्किंग का दर्शाया जाना	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में अंकित हैं।	नियमानुसार हैं।
21.	E.V Charging Facility	आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत	विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित मानचित्रों में 10 प्रतिशत आगन्तुक पार्किंग के स्थान पर E.V Charging Facility का प्रावधान दर्शाया गया है।	उक्त प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लेय है, जिसका मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।
22.	12.1.15 के अनुसार पार्किंग के प्रावधानों की पालना	आवश्यक हैं।	विकासकर्ता से शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग लेय हैं।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।
23.	12.1.18:—पार्किंग सर्कुलेशन प्लान	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
24.	14:—विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश पथ/उप पथ/पहुँच मार्ग/रेम्प/शौचालय/पार्किंग आदि का प्रावधान	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
25.	17.1:—Consent to Operate पर्यावरण विभाग से प्राप्त	20,000 व.मी. सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल हेतु अधिवास	लागू नहीं हैं।	—

			प्रमाण-पत्र जारी होने के 3 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाना है।		
26.	बीपीसी-बीपी की 243वीं बैठक दिनांक 23.07.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार तडित चालक का प्रावधान	18 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु आवश्यक है।	विकासकर्ता से शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग लेय है।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।	
27.	बीपीसी-बीपी की 246वीं बैठक दिनांक 15.09.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार संशोधन /विस्तार हेतु ईकाईयों के आवंटियों की सहमति	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	—	
28.	रेरा में पंजीकरण	लागू है।	लागू है।	स्वीकृत पत्र में उल्लेख किया जाना है।	
29.	पंजीकृत पर्यटन ईकाई/समूह आवास में कमरों/पलैट्स की संख्या	लेय है अथवा नहीं।	लागू नहीं है।	—	
30.	ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवासों का प्रस्ताव अथवा 100/- प्रति व.फी. की दर से बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड लेय है।	लेय है अथवा नहीं।	आवासीय बी.ए.आर. क्षेत्रफल पर राशि लेय है।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।	
31.	भवन विनियम के अनुरूप बिना अनुमति निर्माण शास्ति	लेय है अथवा नहीं।	लेय नहीं है।	—	
32.	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक क्रमांक प.11(9)नवि/2020पार्ट-III दिनांक 10.08.2023 के अनुसार लेबर सेस	आवश्यक है।	लेय है।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।	
33.	अग्निशमन शुल्क	आवश्यक है।	लेय है।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।	
34.	प्रस्तावित बी.ए.आर. ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु	आवश्यक है अथवा नहीं।	लागू नहीं है।	—	
35.	सौर ऊर्जा का प्रावधान	आवश्यक है।	मानचित्रों में प्रस्तावित है।	नियमानुसार है।	
13.	मौका रिपोर्ट:- वर्तमान में भूखण्ड रिक्त है। भूखण्ड की नापें जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान अनुसार उपलब्ध है। भूखण्ड के सामने प्रस्तावित 60 मीटर सड़क वर्तमान में 18 मीटर चौड़ाई में निर्मित है। C.C.Z.M.-2023 अनुसार 72 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है।				
14.	प्रकरण के तथ्य:- विकासकर्ता द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु दिनांक 18.09.2023 को आवेदन किया गया है। विकासकर्ता द्वारा भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.2.1 (अ)(ii) के अनुसार उपयोग योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम 25 प्रतिशत क्षेत्रफल कॉमन टैरेस हेतु आरक्षित रखते हुए भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये है।				
15.	प्रस्ताव:- विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों के उपरोक्त तालिका में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र तकनीकी अनुमोदन योग्य है। विकासकर्ता द्वारा निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी:- 1. जोन की रिपोर्ट दिनांक 25.09.2023 अनुसार पट्टा जारी करने की दिनांक 06.01.2012 से 7 वर्ष अर्थात् दिनांक 05.01.2019 तक प्रभावी थी। अतः नियमानुसार भू-आच्छादन का 1/5 का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया हो तो विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार संबंधित जोन में पुनर्ग्रहण राशि जमा करवाई जावेगी। निर्माण अवधि बढ़ायें जाने की सुनिश्चितता पश्चात ही भवन मानचित्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। 2. भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष देय होगी। 3. प्रस्तावित विस्तार हेतु पार्किंग के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम 2020 के अनुसार शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की जानी होगी। 4. विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, अतः उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है। 5. भवन में आकाशीय बिजली से बचाव हेतु तडित चालक का प्रावधान N.B.C. के प्रावधान अनुसार किया जाना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। 6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.11.2(4) के अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के सुचारु रूप से संचालन की सुनिश्चिता, अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा। 7. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है। 8. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।				

9. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।
10. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सड़कों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान विकासकर्ता के व्यय पर सुनिश्चित की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जाना प्रस्तावित है।
11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखे जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।
12. प्रस्तावित परियोजना की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक हैं। अतः अनुमोदित भवन मानचित्र जारी किये जाने के पश्चात 90 दिवस की अवधि में संरचनात्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्रों को राजकीय स्तर के संस्थानों यथा आईआईटी/एनआईटी/राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अथवा विनियम-19 व 20 के अनुसार पंजीकृत तकनीकीविज्ञ से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय निकाय में प्रस्तुत की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
13. भवन में मैकेनिकल वेन्टीलेशन का प्रावधान रखा गया है। अतः मैकेनिकल वेन्टीलेशन के प्रावधान की सुनिश्चित किये जाने के आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जाना प्रस्तावित है।
14. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित भवन मानचित्रों में 06 मैकेनिकल पार्किंग प्रस्तावित की गई हैं। अतः भवन विनियम 2020 के अनुसार आवेदक से प्रति मैकेनिकल कार पार्किंग हेतु 1 लाख रुपये प्रति कार के हिसाब से कुल 06 लाख रुपये बैंक गारन्टी के रूप में ली जावेगी।
15. प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 3422.11 वर्ग मीटर अर्थात् 5000 वर्गमीटर से कम का है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 26.10.2015 के क्रम में ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से कम है तथा जिन पर फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित है, उनके लिए अतिरिक्त शेल्टर फण्ड रुपये 100/- प्रति वर्गफुट कुल 5 प्रतिशत बी.ए.आर. के बराबर क्षेत्रफल पर लिया जाना होगा। प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रस्तावित आवासीय बी.ए.आर. के 5 प्रतिशत (780.00 व.मी) बी.ए.आर. के बराबर क्षेत्रफल पर 100/- रुपये प्रति वर्गफुट (8396.78 वर्गफुट) की दर से ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु अतिरिक्त शेल्टर फण्ड लेय है।
16. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में बी.ए.आर 4.66 (15,976.19 व.मी.) प्रस्तावित किया गया है। भवन विनियम 2020 के अनुसार मानक 2.00 (6844.22 व.मी.) अनुज्ञेय है। अतः प्रस्तावित अतिरिक्त बी.ए.आर. 9131.97 व.मी. पर नियमानुसार बेटरमेंट लेवी लेय होगी।
17. नियमानुसार लेय अग्निशमन शुल्क हेतु राज्यस्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank, Branch C-scheme, IFSC Code-UTIBOCCH274 में संस्था द्वारा जमा कराया जावेगा।
18. विकासकर्ता द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नवि/2020पार्ट-III दिनांक 10.08.2023 के अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की राशि श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति प्रस्तुत की जानी होगी।
19. नियमानुसार अन्य शुल्क लेय होंगे।

निर्णय:- प्रस्तावित भवन मानचित्रों एवं एजेण्डा नोट का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि एजेण्डा के बिन्दु संख्या-12 में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन योग्य है तथा एजेण्डा के बिन्दु संख्या-15 के प्रस्ताव में उल्लेखित समस्त शर्तों की सुनिश्चितता किये जाने के दृष्टिगत भवन मानचित्रों का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।


 सदस्य सचिव एवं
 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
 भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

6. एजेण्डा नम्बर 278.06 (26.09.2023)(जोन-11):-

भूखण्ड एवं स्वामित्व/लेखा का विवरण:-					
1	भूखण्ड का विवरण	खसरा नम्बर 404, 406, 409, 489/1, 487/1, 488/1, 489/2, 407 (हि. 15350/68200) एवं ख. नं. 399, 400, 401, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 485, 397, 398, 408 (हि. 52850/68200), ग्राम हसमपुरा, नेवटा, तहसील सांगानेर, जयपुर।			
2	भूखण्ड का क्षेत्रफल	63360.61 व.मी. 1504.70 व.मी. (सडक मार्गाधिकार में समर्पित भूमि)			
3	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	60 फीट			
4	भूखण्ड के आवंटन की प्रकृति-90ए/ 90बी के तहत आवंटित/नीलामी/रियायती पर आवंटित	90ख की कार्यवाही सम्पन्न कर प्रश्नगत भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 06.09.2022 को जारी की गई हैं।			
5	पुर्नगठित/एकल पट्टा/उप विभाजन/ एकल पट्टों से पुर्नगठित	एकल पट्टा			
6	परियोजना-समूह आवास/ मुख्यमंत्री जन आवासयोजना/फ्लैट्स/स्टूडियो अपार्टमेन्ट / व्यावसायिक/होटल/मिश्रित उपयोग/वेयर हाउस/ रिसोर्ट/मोटल/पर्यटन विभाग में पंजीकृत हैं तो।	रिसोर्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत			
7	आवेदक का नाम	मैसर्स चाऊ चिक्स प्रा.लि. जरिये प्रबंध निदेशक, श्री सुशील चौधरी पुत्र श्री रामनाथ चौधरी।			
8	स्वामित्व रिपोर्ट	पत्रावली पर जोन रिपोर्ट दिनांक 21.06.2023 अनुसार श्री सुशील चौधरी पु. श्री रामनाथ चौधरी हि. 15350/68200 एवं मैसर्स चाऊ चिक्स प्रा.लि. हि. 52850/68200 जरिये प्रबन्ध निदेशक श्री सुशील चौधरी के नाम है।			
9	लेखा रिपोर्ट	पत्रावली पर जोन रिपोर्ट दिनांक 05.06.2023 अनुसार पूर्ण राशि जमा है। यू-1 आरक्षित दर 8000/- प्र.व.मी. है। पत्रावली पर जोन रिपोर्ट दिनांक 23.06.2023 अनुसार कोई न्यायिक वाद-विवाद नहीं है।			
10	निर्माण अवधि की दिनांक	प्रश्नगत भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 06.09.2022 को जारी की गई हैं। नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.12.2021 के प्रावधान अनुसार फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने की दिनांक से 3 वर्ष तक पुर्नग्रहण शुल्क लेय नहीं होगा। 3 वर्ष पश्चात पुर्नग्रहण शुल्क नियमानुसार देय होगा। अतः भवन निर्माण अवधि 05.09.2025 तक देय होगी।			
11	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री जितेन्द्र शर्मा, सी.ए./2009/45196			
• नाहरगढ ईको सेन्सेटिव जोन से प्रभावित हैं अथवा नहीं				नहीं	
• आर्मी कन्टोनमेन्ट एरिया की 500 मीटर की परिधि में हैं अथवा नहीं				नहीं	
• एयरपोर्ट एन.ओ.सी. आवश्यक हैं अथवा नहीं		CCZM 2023 अनुसार 17 मी. ऊँचाई अनुज्ञेय है।			
भवन मानचित्रों का तकनीकी विश्लेषण:-					
12.	तकनीकी विश्लेषण	जविप्रा के दिनांक 26.09.23 को जारी स्थल मानचित्रानुसार	भवन विनियम 2020 व नविनि के आदेश दिनांक 10.08.23 के अनुसार	आवेदक के प्रस्तावानुसार	नियमानुसार हैं अथवा नहीं
1.	सैटबैक				
	अग्र-I (60' wide road)	30.0 मीटर	30.0 मीटर	131.14 मीटर	नियमानुसार हैं।
	अग्र-II (60' wide road)	9.0 मीटर	9.0 मीटर	9.45 मीटर	नियमानुसार हैं।
	पार्श्व-I	9.0 मीटर	9.0 मीटर	149.88 मीटर	नियमानुसार हैं।
	पीछे	9.0 मीटर	9.0 मीटर	9.56 मीटर	नियमानुसार हैं।
2.	अधिकतम आच्छादन	20 प्रतिशत		4.62 प्रतिशत (2929.50 व.मी.)	नियमानुसार हैं।
3.	अधिकतम ऊँचाई	15 मीटर एवं CCZM 2023 अनुसार 17 मी. ऊँचाई अनुज्ञेय है।	स्टिल्ट + 15 मी.	परियोजना में कुल 06 ब्लॉक प्रस्तावित है। जिनकी अधिकतम ऊँचाई 8.50 मी. है।	नियमानुसार हैं।
4.	कुल तलो की संख्या	—	—	भूतल + 1	
5.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	—	—	3385.65 व.मी	
6.	बी. ए. आर.	0.4 एफ.ए.आर X 1.5=0.6 (बी. ए. आर.) + 1504.70 व.मी. (सडक	0.75 (47,520.45 व.मी.) + 1504.70 व.मी. (सडक	0.053 (3385.65 व.मी.)	नियमानुसार हैं।

		(1 ई.सी.यू./75 वर्गमीटर + 10 प्रतिशत आगन्तुक पार्किंग)	मार्गाधिकार में समर्पित भूमि) 39521.06 व.मी.	मार्गाधिकार में समर्पित भूमि) = 49025.15 व.मी.	
	7.	पार्किंग	50.66 ईसीयू 38 कार + 38 स्कूटर	51 ईसीयू 38 कार + 39 स्कूटर	नियमानुसार हैं।
	8.	10.3.2:-क्षरण क्षेत्र (Refuge area) (संबंधित तल का 10 प्रतिशत या तीन तरफ खुली बालकनी या डबल हाईट टैरेस) नववि के आदेश दिनांक 29.11.2022 अनुसार बहुमंजिला आवासीय भवनों डबल हाईट टैरेस (दो ओर खुली हुई) अथवा बालकनी होने पर पृथक से क्षरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।	24 मीटर से अधिक ऊँचाई हेतु	लागू नहीं हैं।	—
	9.	10.3.2(ix) 30 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु स्ट्रक्चरल डिजाइन मानचित्र	90 दिवस में प्रस्तुत किया जाना है।	लागू नहीं हैं।	—
	10.	10.3.2(x) भवन में अपेक्षित सेवाओं हेतु मानचित्रों के 2 सैट निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्	अधिकतम 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जाना है।	लागू है।	स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जाएगा।
	11.	10.10(viii):-40 मीटर से अधिक ऊँचाई हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति	आवश्यक है।	लागू नहीं हैं।	—
	12.	10.11.1:-वर्षा जल संग्रहण का चिह्निकरण	आवश्यक है।	मानचित्रों में प्रस्तावित है।	नियमानुसार हैं।
	13.	10.11.2:-अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण व रिसाईकिलिंग	2500 व.मी. से अधिक भूखण्ड के क्षेत्रफल हेतु शपथ पत्र	प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
	14.	10.11.2(4) सीवरेंज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रावधान	10,000 व.मी. से अधिक सकल निर्मित क्षेत्रफल हेतु शपथ पत्र	लागू नहीं हैं।	—
	15.	10.11.3:-पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण	आवश्यक है।	लागू है।	स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जाएगा।
	16.	10.11.4(ii) सोलिड वेस्ट का ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विकेंद्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिह्नित किया जाना होगा।	आवश्यक है।	भवन मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
	17.	12.1.2:-आगन्तुक पार्किंग का दर्शाया जाना	आवश्यक है।	मानचित्रों में प्रस्तावित है।	नियमानुसार हैं।
	18.	12.1.15 के अनुसार पार्किंग के प्रावधानों की पालना	आवश्यक है।	विकासकर्ता से शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग लेय हैं।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।
	19.	12.1.18:-पार्किंग सर्कुलेशन प्लान	आवश्यक है।	प्रस्तुत नहीं हैं।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।
	20.	14:-विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश पथ/उप पथ/पहुँच मार्ग/रेम्प/शौचालय/पार्किंग आदि का प्रावधान	आवश्यक है।	मानचित्रों में प्रस्तावित है।	नियमानुसार हैं।
	21.	17.1:-Consent to Operate पर्यावरण विभाग से प्राप्त	20,000 व.मी. सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल हेतु अधिवास प्रमाण-पत्र जारी होने के 3 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाना है।	लागू नहीं है।	—
	22.	बीपीसी-बीपी की 243वीं बैठक दिनांक 23.07.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार तडित चालक का प्रावधान	18 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु आवश्यक हैं।	लागू नहीं है।	—
	23.	बीपीसी-बीपी की 246वीं बैठक दिनांक 15.09.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार संशोधन/विस्तार हेतु ईकाईयों के आवंटियों की सहमति	लागू है अथवा नहीं	लागू नहीं है।	—
	24.	रेरा में पंजीकरण	लागू है अथवा नहीं	लागू नहीं है।	—
	25.	पंजीकृत पर्यटन ईकाई/समूह आवास में कमरों/फ्लैट्स की संख्या	लागू है अथवा नहीं	पंजीकृत नहीं हैं।	कोई छूट देय नहीं हैं।

26.	ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवासी का प्रस्ताव अथवा 100/प्रति व.फी. की दर से बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड लेय हैं।	लागू है अथवा नहीं	लागू नहीं है।	—
27.	भवन विनियम के अनुरूप बिना अनुमति निर्माण शास्त्र	लागू है अथवा नहीं	लेय नहीं हैं।	—
28.	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 24.06.2020 के अनुसार लेबर सेस	लागू है अथवा नहीं	लेय हैं।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।
29.	अग्निशमन शुल्क	लागू है अथवा नहीं	लेय हैं।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।
30.	E.V Charging Facility	आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत	विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित मानचित्रों में 10 प्रतिशत आगन्तुक पार्किंग के स्थान पर E.V Charging Facility का प्रावधान दर्शाया गया है।	उक्त प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लेय हैं, जिसका मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है।
13	मौका रिपोर्ट: —मौके पर भूखण्ड के उत्तर दिशा से 7.0 मीटर चौड़ी कंक्रीट की सड़क (18 मीटर प्रस्तावित) से पहुँच मार्ग उपलब्ध हैं। भूखण्ड के चारों ओर वायर फेन्सिंग की गई हैं व पत्थरगद्दी कर डिर्माकेशन किया गया है। भूखण्ड की नापें साईट प्लान अनुसार उपलब्ध हैं। दक्षिण-पश्चिम कोने में जविप्रा की 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्रफल का डिर्माकेशन किया हुआ है, परन्तु कब्जा प्रार्थी के पास हैं। उत्तर-पूर्व कोने में उत्तर की बाउण्ड्री से लगते हुए पुराने कमरे व साईट ऑफिस निर्मित हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर-पूर्व कोने में प्रस्तावित ब्लॉक 1, 2, 3 का स्ट्रक्चर भूतल (आर.सी.सी.) + प्रथम तल (शेड) व ब्लॉक 04 का शेड पूर्व की बाउण्ड्री से 9.56 मीटर छोड़कर निर्मित हैं व प्रस्तावित ब्लॉक 5 उत्तर की बाउण्ड्री से 9.45 मीटर छोड़कर निर्मित हैं। शेष भूखण्ड रिक्त हैं। CCZM 2023 अनुसार 17 मी. ऊँचाई अनुज्ञेय है।			
14	प्रकरण के तथ्य: —विकासकर्ता द्वारा रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदन दिनांक 24.06.2021 को किया गया। मौका रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड के उत्तर पूर्व के कोने में तीन ब्लॉक में भूतल (आर.सी.सी.) + प्रथम तल (शेड) व ब्लॉक 04 का शेड निर्मित हैं व प्रस्तावित ब्लॉक 5 उत्तर की बाउण्ड्री से 9.45 मीटर छोड़कर निर्मित हैं। विकासकर्ता द्वारा परियोजना के प्रस्तावित मानचित्रों में भूखण्ड पर पूर्व के निर्माण को यथावत रखते हुए रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 20.12.2021 एवं 29.03.2022 द्वारा विकासकर्ता जविप्रा द्वारा साईट प्लान एवं भवन विनियम 2020 के प्रावधान अनुसार सैटबैक प्रस्तावित करते हुए संशोधित भवन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। वर्तमान में उपायुक्त जोन द्वारा दिनांक 26.09.2023 को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार सैटबैक में संशोधन कर संशोधित साईट की प्रति प्रेषित की गई।			
15.	प्रस्ताव: —विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों के उपरोक्त तालिका में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य हैं। विकासकर्ता द्वारा निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी:— - भूखण्ड के उत्तर-पूर्व कोने में प्रस्तावित ब्लॉक 1, 2, 3 का स्ट्रक्चर भूतल (आर.सी.सी.) + प्रथम तल (शेड) व ब्लॉक-04 का शेड पूर्व की बाउण्ड्री से 9.56 मीटर छोड़कर निर्मित हैं। भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने से पूर्व ही मौके पर भवन का निर्माण किया जा चुका है, एवं विकासकर्ता द्वारा मौके पर किये गये निर्माण भवन विनियमों के अनुरूप हैं। अतः नविवि आदेश दिनांक 29.11.2022 में विनियम संख्या 21.8 की तालिका संख्या 11 में किये गये संशोधन अनुसार मानचित्र स्वीकृति से पूर्व मौके पर भवन विनियमों मापदण्डों के अनुरूप निर्माण (जो स्वीकृति योग्य है) पर व्यवसायिक भूखण्डों में सकल निर्मित क्षेत्र x 150/- शुल्क/धरोहर राशि लिया जाना प्रस्तावित है। - जारी साईट प्लान अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड से जविप्रा को समर्पित सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 3334.70 का कब्जा प्राप्त करने बाबत जोन स्तर से सुनिश्चितता किये जाने के पश्चात् भवन मानचित्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। - मौका रिपोर्टनुसार उत्तर-पूर्व कोने में उत्तर की बाउण्ड्री से लगते हुए पुराने कमरे व साईट ऑफिस निर्मित हैं। अतः विकासकर्ता द्वारा सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को हटायें जाने के पश्चात् भवन मानचित्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। - प्रश्नगत भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 06.09.2022 को जारी की गई हैं। नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.12.2021 के प्रावधान अनुसार फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने की दिनांक से 3 वर्ष तक पुर्नग्रहण शुल्क लेय नहीं होगा। 3 वर्ष पश्चात् पुर्नग्रहण शुल्क नियमानुसार देय होगा। अतः भवन निर्माण अवधि 05.09.2025 तक देय होगी। भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष देय होगी। - प्रस्तावित विस्तार हेतु पार्किंग के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम 2020 के अनुसार शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की जानी होगी। - विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, अतः उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।			

7. भवन में आकाशीय बिजली से बचाव हेतु तडित चालक का प्रावधान N.B.C. के प्रावधान अनुसार किया जाना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
8. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.11.2(4) के अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के सुचारु रूप से संचालन की सुनिश्चिता, अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।
9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।
11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।
12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान विकासकर्ता के व्यय पर सुनिश्चित की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जाना प्रस्तावित है।
13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखे जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।
14. नियमानुसार लेय अग्निशमन शुल्क हेतु राज्यस्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank, Branch C-scheme, IFSC Code-UTIBOCCH274 में संस्था द्वारा जमा कराया जावेगा।
15. विकासकर्ता द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि/2020पार्ट-III दिनांक 10.08.2023 के अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की राशि श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति प्रस्तुत की जानी होगी।
16. नियमानुसार अन्य शुल्क लेय होंगे।

निर्णय:- प्रस्तावित भवन मानचित्रों एवं एजेण्डा नोट का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि एजेण्डा के बिन्दु संख्या-12 में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन योग्य है तथा एजेण्डा के बिन्दु संख्या-15 के प्रस्ताव में उल्लेखित समस्त शर्तों की सुनिश्चितता किये जाने के दृष्टिगत भवन मानचित्रों का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।


 सदस्य सचिव एवं
 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
 भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
 दिनांक 14/12/2023

क्रमांक जविप्रा/अति.मु.न.नि./बीपीसी(बीपी)/2023/डी-1293

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जविप्रा एवं माननीय मंत्री महोदय, नविवि एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त (पी.आर.एन)/प्रशासन, जविप्रा, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्त जोनजविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यवाही विवरण को अविलम्ब जविप्रा वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।


 वरिष्ठ नगर नियोजक,
 भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 278वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. डॉ. जोगाराम, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष, |
| 2. श्री नलिनी कठोटिया, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री विनय कुमार दलेला, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री रिकू बसंल, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव |

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे:-

1. श्री अर्पित संचेती, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री महेन्द्र मीणा, उप नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री सुभाष बोहरा, उपायुक्त जोन-01, जविप्रा, जयपुर।
4. सुश्री साक्षी बोहरा, सहायक नगर नियोजक, जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री इन्द्र गोठवाल, नगर नियोजन सहायक, बीपीसी-बीपी, जयपुर।
6. श्री सचिन राज शाक्या, अरबन प्लानर, जोन-01, जविप्रा, जयपुर।


वरिष्ठ नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।